न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरवा उन्नाव

UPUN120001532006

उपस्थित– हिमानी गौतम (उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा)

सरकार बनाम शिवबालक सिंह आदि

फौजदारी वाद सं0–1112/2006

अ0सं0–237/2006
धारा– 323,325,324,506,504 भा0दं0सं0

सरकार———————————————————————— अभियोजन,

बनाम

1– दिनेश प्रताप सिंह पुत्र स्व0 शिवबालक सिंह निवासी फत्तेपुर, मजरा चैनपुर मवइया, थाना बिहार जिला उन्नाव। ———————————————— अभियुक्त।

निर्णय

थाना पुलिस बिहार जिला उन्नाव के द्वारा अभियुक्त दिनेश प्रताप सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 323,324,325,504,506 भा0दं0सं0 के तहत विचारण किये जाने हेतु प्रेषित किया गया है।

अभियुक्त दिनेश प्रताप सिंह की ओर से जुर्म इकबाल करने का कथन किया गया। अभियुक्त को समझा दिया गया कि सजा हो सकती है। उनके द्वारा स्वेच्छा से जुर्म इकबाल करना कहा तथा कम से कम दण्ड देने की प्रार्थना की ।

अभियुक्त ने अपने बयान में स्वेच्छया से जुर्म स्वीकारा है। स्वेच्छया पूर्वक की गयी संस्वीकृत के आधार पर आरोपित अपराध में अभियुक्त को धारा 323,324,325,504,506 भा0दं0सं0 में दोष सिद्ध किया जाता है। अभियुक्त जिलाकारागार से जेरे हिरासत न्यायालय में उपस्थित है। उसे दण्ड के बिन्दु पर सुना जायेगा।

दिनांक– 14.07.2026

(हिमानी गौतम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पुरवा,उन्नाव।

दण्ड़ के प्रश्न पर अभियुक्त को सुना गया।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्त को अधिकतम दण्ड से दण्डित किये जाने की मॉग की गयी ह। अभियुक्त द्वारा परिवीक्षा की मॉग करते हुए कथन किया गया है कि प्रस्तुत वाद सन् 2006 से विचाराधीन है। अभियुक्त गरीब तथा वृद्ध हैं। अभियुक्त कृषि व मजदूरी करके अपना जीवकोपार्जन करते हैं। यह उनका प्रथम अपराध है। उनके आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अभियोजन द्वारा कोई आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी है।

इस सम्बन्ध में धारा 4 परिवीक्षा अधिनियम 1958 यह प्राविधानित करती है कि जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध को करने का दोषी पाया जाता है, जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है तथा न्यायालय की राय में मामले की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उसे सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ा जाना समीचीन है। तो न्यायालय ऐसे दोषसिद्ध को तुरन्त दण्डित करने के बजाये प्रतिभू सहित या रहित ऐसे बन्धपत्र पर छोड़ सकेगा कि दोषसिद्ध तीन वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि के दौरान जो न्यायालय निर्दिष्ट करे आहूत किये जाने पर उपस्थित रहेगा तथा दण्ड प्राप्त करेगा और इस बीच परिशान्ति कायम रखेगा व सदाचारी रहेगा।

अतः उपरोक्त विधिक प्राविधान तथा अभिकथित अपराध की प्रकृति प्राचीनता व अभियुक्त की आयु व मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दोषसिद्धि को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान करते हुए उन्हें सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ा जाना उचित होगा।

<u>आदेश</u>

दोषसिद्ध दिनेश प्रताप सिंह को फौजदारी वाद सं0–1112/2006, अ0सं0–237/2006, थाना बिहार, जिला उन्नाव के प्रकरण में अन्तर्गत धारा 323,325,324,504,506 भा0दं0सं0, के अपराध हेतु छः माह की परिवीक्षा पर रिहा किया जाता है तथा दोषसिद्ध को आदेशित किया जाता है कि वह आज से 15 दिन के भीतर जिला प्रबेशन अधिकारी उन्नाव के समक्ष उपसंजात होकर 20,000/–रूपये का स्वबन्धपत्र व समान धनराशि की एक प्रतिभू इस आशय की प्रस्तुत करें कि वह निर्णय की तिथि से छः माह की अवधि तक परिशान्ति कायम रखेगें तथा सदाचारी बने रहेगें और न्यायालय द्वारा बुलाये जाने पर उपस्थित होगें। इस अवधि के दौरान यदि दोषसिद्ध द्वारा शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो उसे आहूत कर दण्ड की मात्रा के बिन्दु पर सुनकर दण्डित किया जायेगा।

निर्णय की एक प्रति जिला परिवीक्षा अधिकारी उन्नाव के पास सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अविलम्ब प्रेषित की जाये। निर्णय की एक प्रति दोषसिद्ध को निःशुल्क प्रदान की जाये।

दिनांक–14.07.2026

(हिमानी गौतम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पुरवा,उन्नाव।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षंरित, दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक– 14.07.2026

(हिमानी गौतम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पुरवा,उन्नाव।